

लोक सुनवाई का वृत्त

मेसर्स माँ लक्ष्मी क्रिएटिव प्राइवेट लिमिटेड, निदेशक: चुनचुन कुमार एव अन्य पिता: ले० आनंदी सिंह, पता: तुंगी, हिसुआ, जिला- नवादा द्वारा नवादा तिलैया नदी स्थित ब्लॉक: 22 (परोरिया), मौजा- परोरिया, ब्लॉक- मेसकौर जिला-नवादा का नवादा अन्तर्गत बालू खनन परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 एवं यथा संशोधित के तहत दिनांक: 02.08.2024 को अपराह्न 12:00 बजे प्रखण्ड कार्यालय: मेसकौर, जिला- नवादा के प्रांगण में लोक सुनवाई की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत TOR File. No. SIA/1(a)/2313/2023, dated 16.02.2023 के आलोक में श्री चन्द्रशेखर आजाद, अपर समाहर्ता, नवादा (जिला पदाधिकारी, नवादा के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा दिनांक: 02.08.2024 को अपराह्न 12:00 बजे प्रखण्ड कार्यालय: मेसकौर, जिला-नवादा में लोक-सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक-1)।

इस लोक-सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा दैनिक समाचार पत्र यथा दैनिक भास्कर एवं हिन्दुस्तान के माध्यम से दिनांक 03.07.2024 को प्रकाशित की गयी थी (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक-सुनवाई के दौरान श्री मनोरंजन कुमार सिंह, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, गया द्वारा लोक-सुनवाई में उपस्थित जन-समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक-सुनवाई की पृष्ठ-भूमि पर प्रकाश डाला गया।

क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा तिलैया नदी स्थित ब्लॉक: 22 (परोरिया), मौजा- परोरिया, ब्लॉक- मेसकौर जिला-नवादा के लेसी को मंच के समीप आकर अपना परिचय देने के लिए कहा गया। तदनुसार उपस्थित लेसी के प्रतिनिधि द्वारा अपना परिचय लोक सुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों को दिया गया।

अपर समाहर्ता महोदय द्वारा लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव माँगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री नीतीश कुमार ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी (Corporate Social Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु सड़को पर नियमित रूप से जल छिड़काव किया जायेगा साथ ही वाहनों पर ओवरलोडिंग नहीं की जायेगी एवं वाहनों को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 2 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु वाहनो में तीव्र ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा।

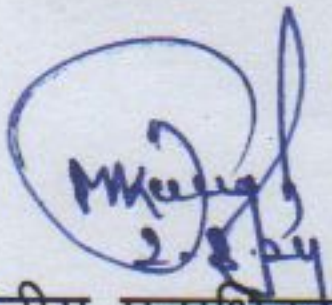
सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा। परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवत है:-

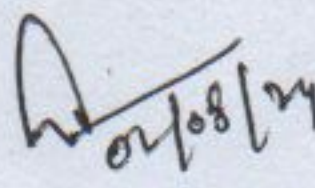
क्रमांक	नाम एवं पता	प्रतिक्रिया/सुझाव
1.	श्री जितेन्द्र कुमार, पता: परोरिया जिला: नवादा।	इनके द्वारा यह कहा गया कि नदी में बालू नहीं है। अतः अनुरोध है कि इस बालू घाट से खनन से सम्बंधित परियोजना प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं दी जाए। प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार के द्वारा यह बतलाया गया कि घाट का चयन जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर ही बालू उपलब्धता के आलोक में इस घाट का खनन परियोजना का प्रस्ताव लाया गया है।
2.	श्री अभय कुमार, (प्रस्तावक कम्पनी का एक निदेशक) ग्राम: मेसकौर, जिला: नवादा।	इनके द्वारा यह सुझाव दिया गया कि इस खनन कार्य में जिला प्रशासन का सहयोग रहेगा तो हमलोग इस परियोजना का कर्यान्वयन कर पायेंगे। प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार के द्वारा यह बतलाया गया कि आपके सुझाव को सक्षम प्राधिकार के समक्ष रखा जायेगा।
3.	श्री अखिलेश सिंह, ग्राम: शाहपुर सराय, जिला: नवादा।	इनके द्वारा कहा गया कि उक्त प्रस्तावित घाट पर बालू नहीं है, इस बात की पूर्ष्टि जिला स्तर की कमिटि से कराने के बाद ही पर्यावरणीय स्वीकृति दी जाय।
4.	श्री मनीष कुमार, ग्राम: धनगांवा, जिला: नवादा।	इनके द्वारा भी उपरोक्त बिन्दुओं को ही दोहराया गया कि नदी में बालू कम है, अतः उक्त स्थिति में ज्यादा गहराई तक खनन होने पर पानी की भी समस्या आ सकती है। अतः अनुरोध है कि इस बालू घाट से सम्बंधित परियोजना को स्वीकृति नहीं दी जाए। इस संबंध में प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा यह बतलाया गया कि तय सीमा के भीतर मात्र 2 मीटर गहराई तक ही इनके द्वारा बालू का खनन किया जायेगा, जिससे पानी की समस्या उत्पन्न नहीं होगी।

5.	श्री उमेश सिंह, ग्राम: धनगावां, जिला: नवादा।	इनके द्वारा कहा गया कि खनन स्वीकृति देने से पहले बालू की उपलब्धता की जांच कराने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाय। प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार के द्वारा यह बतलाया गया कि आपकी बातों को सक्षम प्राधिकार के समक्ष यथोचित निर्णय के लिए रखा जायेगा।
इस लोक सुनवाई में उपस्थित सभी आमजनों द्वारा एक स्वर में इस बालू घाट से सम्बन्धित खनन परियोजना का स्वीकृति नहीं दिये जाने का अनुरोध किया गया।		

उपरोक्त सभी विचारों को सम्मिलित करते हुए अध्यक्ष महोदय द्वारा लेसी के प्रतिनिधि से उनका विचार को साझा करने को कहा गया। लेसी के प्रतिनिधि श्री संजय कुमार सिंह के द्वारा बताया गया कि इस बालू घाट का संचालन करने के लिए मैं तैयार हूँ।

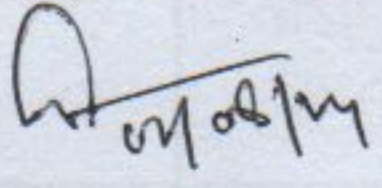
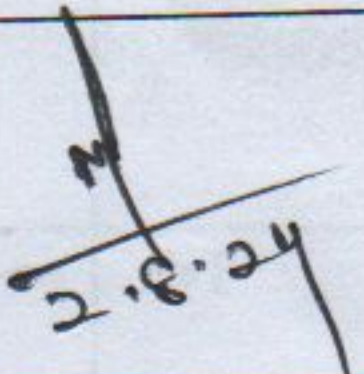
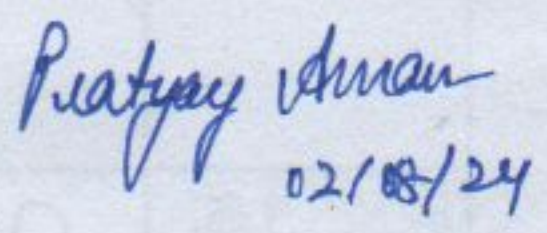
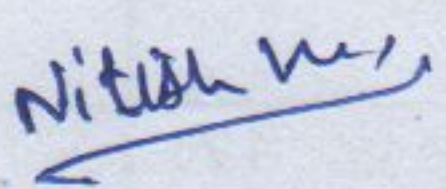
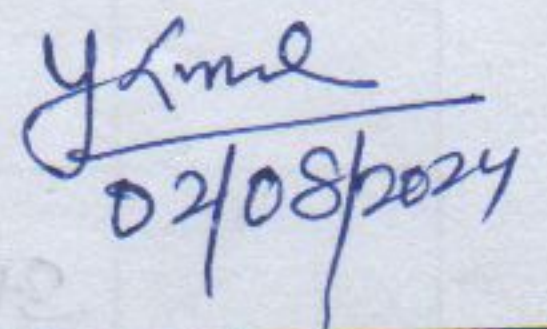
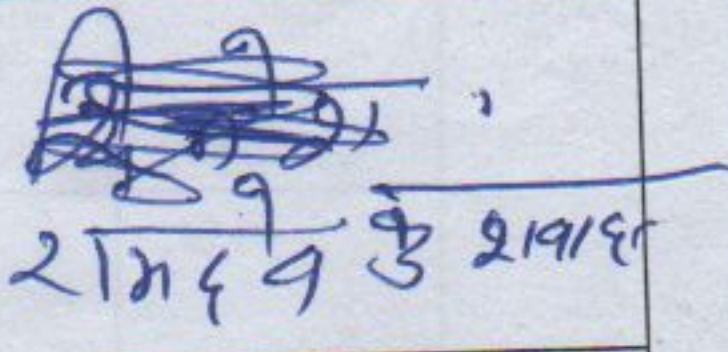
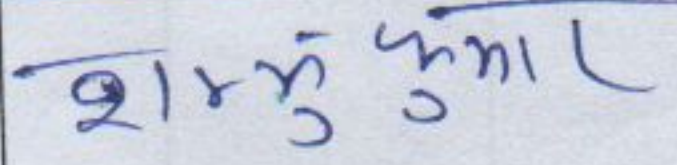
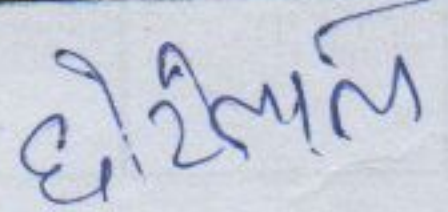
जन-सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए इस बालूघाट का खनन परियोजना की स्वीकृति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु सक्षम प्राधिकार को भेजने का निर्णय लिया गया।


क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्वद, गया

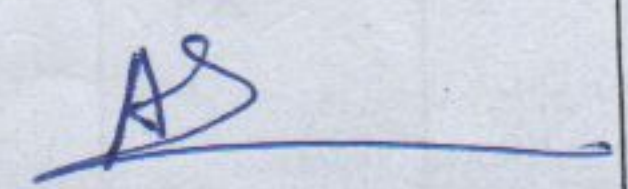

अपर समाहर्ता
नवादा

उपस्थिति सूची

मेसर्स माँ लक्ष्मी क्रिएटिव प्राइवेट लिमिटेड, निदेशक: चुनचुन कुमार एव अन्य
पिता: ले० आनंदी सिंह, पता: तुंगी, हिसुआ, जिला- नवादा (नवादा तिलैया
नदी स्थित ब्लॉक: 22 (परोरिया), मौजा- परोरिया, ब्लॉक- मेसकौर
जिला-नवादा) का प्रस्तावित बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति
दिनांक: 02.08.2024 को 12:00 बजे अपराह्न में प्रखंड कार्यालय, मेसकौर,
जिला-नवादा में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित महानुभावों की
सूची:

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	चन्द्रशेखर आजाद	ADM नवादा	
2.	मनोज कुमार सिंह	रेगिमी पदाधिकारी जि० ए० ए० ए० ए० ए० जिला	
3.	प्रद्युम्न उमन	MDO, Nawada	
4.			
5.	नीतीश कुमार	Cognizance Research India, Pvt Ltd. (Env. Consultancy)	
6.	अलीन्द यादव	परोरिया	
7.	रामदत्त कुशवाहा	परोरिया	
8.	शम्भु कुमार	परोरिया	
9.	दीपलाल लाल	परोरिया	

10.	रामजी कुमार	परौरिया	रामजी कुमार
11.	राहुल कुमार	परौरिया	राहुल कुमार
12.	अमित कुमार	परौरिया	अमित कुमार
13.	मनीष कुमार	व्यनगोवा	मनीष कुमार
14.	सुमेश सिंह	दादगंवा	सुमेश सिंह
15.	Abhay Kumar	Member-maa Lexmi Creative PVT. LTD.	Abhay Kumar
16.	Rohul Kumar	Jalalpur	Rohul
17.	अमित कुमार	परौरिया	अमित कुमार
18.	अशोक कुमार	परौरिया	ASHOK Kumar
19.	राकेश कुमार	परौरिया	राकेश कुमार
20.	आशिषी कुमार	जामालपुर	Ashish Kumar

21.	बहादुर सिंह	परीरिया	बहादुर सिंह
22.	कामल कुशवाहा	बिजु बिजवा	कामल कुशवाहा
23.	मुन्ना कुमार	परीरिया	मुन्ना कुमार
24.	मुनीश्वर सिंह	सामपुर	मुनीश्वर सिंह
25.	पुरुषोत्तम कुमार	कटघरा	पुरुषोत्तम कुमार
26.	प्रवीण कुमार	सहवाजपुर सराय	प्रवीण कुमार
27.	पन्थन कुमार	कटघरा	पन्थन कुमार
28.	संगीष कुमार	सहवाजपुर सराय	संगीष कुमार
29.	राजेश कुमार	— DO —	
30.	अमरेश कुमार	सहवाजपुर	
31.			

